required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub-rule (1) of Rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one member from among themselves to serve as member of the Committee on Estimates for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri T. R. Shamanna resigned from the Committee"

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub-rule (1) of Rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one member from among themselves to serve as member of the Committee on Estimates for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri T. R. Shamanna resigned from the Committee."

The motion was adopted.

4.35 hrs.

SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, TRIVANDRUM, BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI C. P. N. SINGH): I beg to move for leave to introduce a Bill to declare the Sree Chitra Tirunal Medical Centre Society for Advanced Studies in Specialities, Trivandrum, in the State of Kerala, to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith.

MR. DEPUTY SPAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to declare the Sree Chitra Tirunal Medical Centre Society for Advanced Studies in Specialities, Trivandrum, in the State of Kerala, to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith.

The motion was adopted.

SHRI C P. N. SINGH: Sir, I introduce the Bill.

14.37 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) PAY SCALES OF EMPLOYEES WORKING IN 'SAMACHAR'.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समाचार "ए" वर्ग की संवाद समिति थी और उसमें कार्यरत सभी कर्मचारियों को "ए" वर्ग का वेतनमान दिया जाता था। समाचार ने स्वयं कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन समाचार के विघटन के समय उन्हें भी०पी०टी०आई०यू० एन आई, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उस समय और कोई विकल्प नहीं था।

समाचार के कर्मचारियों को सरकार, समाचार तथा जिन संवाद समितियों में वे कार्यरत है, ने आश्वासन दिया था कि उनके वेतनमान और सेवा-शर्तों की पूरी सुरक्षा की जायेगी। अब जबकि पालेकर ट्रिब्युनल ने अपने टेन्टेटिव प्रोपोजल्ज में संवाद समितियों का वर्गीकरण राजस्व के आधार पर किया है, ऐसे में समाचार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 11-8-1980.

की स्थिति क्या होगी ? उनके वर्तमान और सेवा-शर्तों की सुरक्षा किस प्रकार की जायेगी।

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि समाचार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का सारा खर्च छः वर्षों तक स्वयं सरकार ने उठाने का आश्वासन दिया था और उसका संबंध समितियों के राजस्व से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि उन्हें कौन सा वेतनमान दिया जायेगा, क्योंकि वह उन्हें "ए" श्रेणी का वेतनमान देने के लिए वचनबद्ध है ?

क्या सरकार अपने वायदे को निभायेगी ?

(ii) RAILWAY FACILITIES ON RATLAM-KOTA DIVISION OF WESTERN RAILWAY.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम रेलवे के रतलाम और कोटा रेल मंडलों के अंतर्गत बढ़े हुए रेल यातायात के कारण प्रायः रेल के डिब्बों में जगह न होने से यात्रियों को अपना जीवन खतरे में डाल कर रेल डिब्बों के ऊपर चढ़ कर अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। लखनऊ से कोटा के बीच चलने वाली अवध एक्सप्रेस को रतलाम तक तथा अहमदाबाद से रतलाम के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी को उज्जैन तक बढ़ाया जाये। इन्दौर से दिल्ली तथा रतलाम से भोपाल के मध्य तेज गति की रेल सेवा उपलब्ध कराई जाये। इन्दौर भोपाल रात्रि एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का शायिकायुक्त एक कोच उज्जैन से जोड़ा जाये। दिल्ली-बम्बई तथा बम्बई-दिल्ली के बीच चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों में उज्जैन के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के आरक्षण में वृद्धि की जाये। दिल्ली-बम्बई मुख्य रेल मार्ग से औद्योगिक सांस्कृतिक महत्व के नगर इन्दौर-देवास-उज्जैन को सीधा जोड़ने के लिए उज्जैन आगर-सुखनेर-झालावाड़-पाटन रामगंज मंडी तथा उज्जैन से महिदपुर रोड तक नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण कराया जाये।

आशा है कि माननीय रेल मंत्री जी रेल यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

(iii) ALLOTMENT OF QUOTA OF CEMENT TO KERALA

SHRI E. K. IMBICHIBAVA (Calicut): Sir, an alarming situation has arisen in Kerala as a result of the drastic reduction in the central allotment of cement. The total quarterly demand of Kerala is estimated at 10 lakhs tonnes. The central allotment to Kerala has been to the tune of 3.29 lakh tonnes per quarter. But, suddenly, the Government has reduced it to 1.99 lakh tonnes. Sir, as you can very well see, this meagre allotment will not even meet 20 per cent of our demand. All the construction activities will have to be drastically curtailed. During monsoon, due to heavy rain and floods, many buildings, roads, bridges etc. get damaged and these will have to be repaired urgently.

Apart from that, construction work on the whole lot of irrigation and vital hydro-electric projects will be stalled due to the shortage of cement.

In this situation, the drastic reduction in the allotment of cement to Kerala is an unfortunate decision. Therefore, I urge upon the Minister of Industry to restore the allotment to at least the 3.29 tonnes level.

(iv) REPORTED NON-UTILISATION OF ALLOTTED FUNDS FOR THE WELFARE OF TRIBALS BY MADHYA PRADESH GOVERNMENT

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :